

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 147]

दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2012/भाद्र 7, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 132

No. 147]

DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2012/BHADRA 7, 1934

N.C.T.D. No. 132

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग अधिसचना

दिल्ली, 29 अगस्त, 2012

फा. सं. 47/पालिसी/आरसीएस/2012/243/

221.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम, 2003) की धारा 114 की उप-धारा (1) तथा (2) तथा दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 द्वारा पठित नियम 3, 4, 9 एवं 10 और दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, ययोग करते हुए श्री एच. एस. शर्मा, जिला न्यायाधीश एवं एएसजे आई/सी जिला नई दिल्ली पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अविधि तीन वर्ष उनकी तिथि के प्रभाव से जिनको वह पद ग्रहण करते हैं, नियुक्त किया जाता है। सेवा को अन्य शर्तें वह होंगी, जो दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 में दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर. जी. पी. सिंह, अतिरिक्त पंजीयक (सहकारिता)

COOPERATIVE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 29th August, 2012

F. No. 47/Policy/RCS/2012/243/221.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 114 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act No. 3 of 2004) and read with rules 3, 4, 9 and 10 of the Delhi Cooperative Tribunal Rules, 2006, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoint Sh. H. S. Sharma, District Judge and ASJ I/C New Delhi District Patiala House Court, New Delhi as Chairman of Delhi Cooperative Tribunal for a period of 3 years with effect from the date he takes over the charge of this office. Other terms and conditions of service shall be as envisaged in the Delhi Cooperative Tribunal Rules, 2006

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Registrar (Cooperative Societies)